

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ  
(द० प्र० सं० 144 के तहत वाद सं०-95/2022)

संत कुमार सिंह

-बनाम्-


उमेश राम वगैरह


आदेश

17.01.23

प्रथम पक्ष के आवेदन के जाँचोपरान्त थाना प्रभारी, गाँवा के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों की ओर से दिनांक-17.01.2023 को प्रस्तुत सुलहनामा को स्वीकार करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
खोरीमहुआ

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
खोरीमहुआ